

EXECUTIVE ENGINEER WATER RESOURCES DEPARTMENT DIVISION III BARAN

No. - 792

दि: - 30.5.18

To,
Divisional Forest Officer District Baran,

विषय :- Ahamdi minor irrigation project (Proposal for diverting of forest land for right main canal & minor of Ahamdi minor irrigation project forest land 5.232 hact. Non forest land 10.983 hact. in canal and total command area -726.72 hac.) के निर्माण कार्य हेतु 5.232 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में

Proposal No. :- FP/RJ/Irrig/23175/2016

Dear Sir,

With Due respect in reference of above mention subject. We Submitting the Reply for the EDS Raised by forest Department for the Proposal as follows.

| S.No. | EDS Raised/Shortcomings in the proposal | Reply of EDS |
|-------|---|--|
| 1 | प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या A-1 (iii) में गैर वन भूमि 10.89 है, अंकित की गई है जबकि A-1 (ix) में गैर वन भूमि 4.893 है अंकित की गई है अन्तर को स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है | कुल गैर वन भूमि 10.893 हैक्टर है, पूर्व में RMC नहर की गैर वन भूमि अंकित की गई थी। अब LMC नहर की गैर वन भूमि सम्मिलित कर पालना कर दी गई है। |
| 2 | प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या A-3 (xvii) में अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है | अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित कर अपलोड कर दिये गये हैं। |
| 3 | प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या 1B-1 में यूजर एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में प्रेषित पुराने स्वीकृत/अस्वीकृत/प्रक्रियाधीन प्रस्तावों की सूचना दी जानी प्रस्तावित है। | परियोजना के बाव व सम्बरजैन्स में आयी वन भूमि 228.78 हेक्टर के प्रस्ताव * वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 8/1/1991/एफ/ सी/VOL-1/ दिनांक 14.10.2014 एवं शासन सचिव वन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एक 1 (52)वन /1980 दिनांक 17.11.2014 द्वारा अनुमोदन उपरान्त उप वन संरक्षक, बारा के पत्र क्रमांक 19410 दिनांक 19.12.2014 द्वारा परियोजना के निर्माण हेतु 228.78 हेक्टर वन भूमि के उपयोग की सहमति प्रदान की गई। |
| 4 | प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या B-2.4 में यूजर एजेंसी द्वारा कन्वोनेट अनुसार (डिमलाइन, एग्रीक. शीट, सम्बरजैन्स, नहर आदि) के अनुसार विवरण दिया जाना प्रस्तावित है। | 5.232 हेक्टर वन भूमि नहर (RMC/Minor) में ही आ रही है। जिसका विवरण अंकित कर दिया गया है। |
| 5 | प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या C(ii) में संलग्न KML File (Polygon shape) में चेन्जेज दिया जाना प्रस्तावित है। | KML File (Polygon shape) में चेन्जेज लगाकर संलग्न कर दी गई है। |
| 6 | प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या C(iii) में संलग्न GT Sheet 1:50000 मूल में प्रस्ताव का अंकन किया जाकर इसमें शीर्षक तालिका एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर शामिल कर अपलोड किया जाना प्रस्तावित है। | अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित कर अपलोड कर दिये गये हैं। |
| 7 | प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या C(iv) में संलग्न DGPS मानचित्र प्रस्तावित भूमि के सभी कॉर्नर्स के अक्षांश देशान्तर नम्बर एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर उपरान्त अपलोड किया जाना प्रस्तावित है। | DGPS map में प्रस्तावित वन भूमि के सम्स्त कॉर्नर्स के जी.पी.एस. कोर्डिनेट्स मय अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अपलोड कर दिये गये हैं। |

| | | |
|----|---|--|
| 8 | प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या D(i) में जो सुझा संलग्न नहीं की गई है। इसमें प्रस्ताव की औचित्यता का प्रमाण पत्र एवं विभिन्न विकल्पों पर किये गये कार्य का विवरण अंकित किया जाना प्रस्तावित है। | औचित्यता का प्रमाण पत्र संलग्न कर विवरण अंकित कर दिया गया है। |
| 9 | प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 बिन्दु संख्या L में Compensatory Afforestation में प्रत्यावर्तन के बदले प्राप्त होने वाली भूमि का DGPS Map, KML File, GT Sheet & Revenue Details संलग्न की जानी प्रस्तावित है। | प्रत्यावर्तन के बदले प्राप्त होने वाली भूमि का DGPS Map, KML File, GT Sheet & Revenue Details संलग्न कर दिया गया है। |
| 10 | प्रयोज्यता अधिकरण द्वारा अतिरिक्त सूचनाओं में निम्न सूचना दिया जाना अपेक्षित है। | |
| | 1. एरिया कंलकुलेशन शीट (खसरा कार/ग्रामवार) मय लम्बाई एवं चौड़ाई | संलग्न कर दिया गया है। |
| | 2. जमाबंदी | संलग्न कर दिया गया है। |
| | 3. राइट में कैनल एवं गाइडर का क्रॉस सेक्शन | संलग्न कर दिया गया है। |
| | 4. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में एन.पी.सी. राशि कतिपूति वृक्षारोपण राशि एवं न्यूनतम वन भूमि होने का हस्त्य पत्र | संलग्न कर दिया गया है। |
| | 5. उक्त प्रस्ताव को पुराने स्वीकृत प्रस्ताव के साथ सम्मिलित नहीं किये जाने का कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है। | डेम के दूर क्षेत्र में आयी वन भूमि 228.78 हेक्टर को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय तक नडरीतंत्र का विस्तृत सर्वे एवं प्लानिंग का कार्य पूर्ण नहीं था। अतः प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया गया है। |

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


 (निर्माण कार्य में भाग लेने वाला)
 WATER ENGINEERING DEPARTMENT
 जल संसाधन विभाग, मुंबई
 बारा (राज.)